



उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग गुरुकुल कांगड़ी, हरिद्वार

संख्या :- 166 / 62 / गोपन / R.O. -14 / 2015-16,

दिनांक: 23 मई, 2016

विज्ञप्ति

उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग द्वारा दिनांक 28 फरवरी, 2016 को आयोजित विधायी एवं संसदीय कार्य, विधायी प्रकोष्ठ के अन्तर्गत समीक्षा अधिकारी विधि आलेखन, अनुवादक विधि आलेखन एवं पुनरीक्षक विधि आलेखन परीक्षा-2014 के लिखित परीक्षा (वस्तुनिष्ठ प्रकार) के आधार पर निम्नलिखित अनुक्रमांकों के अभ्यर्थियों को कम्प्यूटर परीक्षा (Qualifying nature) हेतु औपबन्धिक रूप से सफल घोषित किया जाता है-

(1) समीक्षा अधिकारी, विधि आलेखन

400008	400014	400079	400100	400102	400107
400158	400167	400222	400232		

(2) अनुवादक, विधि आलेखन

400017	400138
--------	--------

(3) पुनरीक्षक, विधि आलेखन

400008	400014	400079	400100	400102	400158
400167	400212	400222	400232		

नोट-

1. उक्त परीक्षा परिणाम अभ्यर्थियों द्वारा उनके आन लाईन आवेदन में किये गये दावों यथा शैक्षिक अर्हता, स्थायी निवास, लम्बवत्/क्षैतिज आरक्षण आदि से सम्बन्धित दावे के आधार पर घोषित किया जा रहा है। अभ्यर्थियों द्वारा किये गये दावों से सम्बन्धित अभिलेखों का परीक्षण किया जाना अवशेष है। सभी अभ्यर्थियों का परीक्षा परिणाम पूर्णतः औपबन्धिक है। कम्प्यूटर टंकण परीक्षा के पूर्व समस्त दावों एवम् अभिलेखों का विस्तृत परीक्षण किया जायेगा। यदि दावों एवम् अभिलेखों में किसी भी प्रकार की विसंगति पायी जाती है अथवा दावे असत्य पाये जाते हैं, तो अभ्यर्थी को मा0

आयोग द्वारा कम्प्यूटर टंकण में सम्मिलित होने की अनुमति प्रदान नहीं की जाएगी तथा उसका अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जाएगा।

2. लिखित परीक्षा (वस्तुनिष्ठ प्रकार) में उत्तीर्ण अभ्यर्थियों के कम्प्यूटर टंकण परीक्षा के संबंध में विस्तृत विवरण पृथक से जारी किये जाएंगे।

3. अभ्यर्थियों के प्राप्तांक एवं कट ऑफ मार्क्स, कम्प्यूटर टंकण परीक्षा के पश्चात् (Qualifying nature) अंतिम चयन परिणाम जारी होने के साथ ही आयोग की वेबसाइट पर जारी किये जाएंगे।

(पी0सी0डंडरियाल)

प्रभारी सचिव

प्रतिलिपि— निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. निजी सचिव, मा0 अध्यक्ष/मा0 सदस्यगण को मा0 अध्यक्ष/मा0 सदस्यगण के अवलोकनार्थ।
2. परीक्षा नियंत्रक/वित्त नियंत्रक/उप सचिव
3. अनुसचिव, परीक्षा अनुभाग-2, अनुभाग अधिकारी, डाक-डिस्पैच अनुभाग।
4. व्यवस्थाधिकारी को कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर चस्पा करने हेतु।
5. अनुभाग अधिकारी आई0टी0 अनुभाग को उक्त परीक्षाफल आयोग की वेबसाइट पर प्रसारित करने हेतु।

प्रभारी सचिव